

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद
(राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना)

(तृतीय तल, बी-ब्लॉक, योजना भवन, सी-स्कीम, जयपुर, फोन : 2224978, 5188112 फैक्स नं. 2229894)

प.1(6)ग्रा.वि./आरजीएवीपी/2011/10157-10175 जयपुर, दिनांक :09.08.2012

जिला परियोजना प्रबंधक,
जिला परियोजना प्रबन्धन ईकाई,
समस्त

विषय:- पीएफटी मैनेजर/कॉर्डिनेटर पद हेतु वयनित कार्मिकों की कार्यग्रहण अवधि 31.08.2012 तक बढ़ाया जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.1(6) ग्रा.वि /आरजीएवीपी/2011/जयपुर दिनांक 03.07.12 एवं 16.07.12 के द्वारा पीएफटी मैनेजर/कॉर्डिनेटर का विशेष चयन के माध्यम से चयन किया जाकर विभिन्न जिलों में पदस्थापन किया गया था। जिन पीएफटी मैनेजर/कॉर्डिनेटरों ने अभी तक अपने मूल विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण नहीं किया है, उनको कार्यग्रहण अवधि 31 अगस्त 2012 तक बढ़ाई जाती है।

sd.

स्टेट मिशन डायरेक्टर,
आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यबाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायत विभाग।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायत विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संरक्षण विभाग विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
6. आयुक्त/निदेशक संबंधित विभाग.....
7. उप शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक(लाईवलीहुड) आरआरएलपी।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित जिला परिषद.....
10. विकास अधिकारी संबंधित पंचायत समिति.....
11. जिला शिक्षा अधिकारी मा./प्रा. शिक्षा विभाग.....
12. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी.....
13. जिला परियोजना प्रबन्धक, डीपीएमयू.....
14. संबंधित कार्मिक.....
15. लेखा शाखा/कैशियर आरआरएलपी जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

sd.

स्टेट मिशन डायरेक्टर,
आजीविका परियोजनाएँ एवं स्वयं सहायता समूह